Result Mitra Daily Magazine

EVM की बर्न मेमोरी का सत्यापन

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में 2024 की लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों की समाप्ति के बाद इन चुनाव में भागीदार 11 उम्मीदवारों ने इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (EVM) तथा मतदाता सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) की बर्न मेमोरी की जाँच के लिए चुनाव आयोग में आवेदन किया है।
- EVM और VVPAT की बर्न मेमोरी की जाँच के लिए आवेदन करने वाले 11 उम्मीदवारो में 8 उम्मीदवार ने 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा जबकि अन्य तीन उम्मीदवार आंध्रप्रदेश और ओडिसा में विधान सभा चुनाव में उम्मीदवार थे
- इन आवेदकों में से है भाजपा और कांग्रेस के तीन-तीन उम्मीदवार तथा डीएमके (DMK) तथा वाईएसआरसीपी (YSRCP) के एक-एक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार की गई आवेदन -

- 26 अप्रैल 2024 को उच्चतम न्यायालय की जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की दो जजों वाली बेंच ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिकामर्स बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मामले में फैसला सुनाते हुए EVM के बदले मतपत्रों से चुनाव कराने और वीवीपैट (VVPAT) पर्चियों की 100% गिनती संबंधित याचिका खारिज कर दी।

- दो जजो वाली उच्चतम न्यायालय की इस बेंच ने चुनाव आयोग को लोकसभा चुनाव की समाप्ति के बाद दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवारों के लोकसभा या विधानसभा क्षेत्र के 5 प्रतिशत EVM मशीनों एवं VVPAT की बर्न मेमोरी को आवेदन के आधार पर सत्यापन का निर्देश दिया।
- इसके लिए उम्मीदवार या उनके प्रतिनिधियों को मतदान केन्द्र या सीरियल नम्बर के आधार पर EVM का चुनाव करना होगा।
- इन चुनी गई EVM मशीनों की बर्न मेमोरी को प्रति विधानसभा क्षेत्र / संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के EVM के इंजीनियरों के द्वारा जाँच और सत्यापन किया जाएगा।
- अदालत के अनुसार EVM और VVPAT की बर्न मेमोरी के सत्यापन के दौरान उम्मीदवारों या उनके प्रतिनिधि को उपस्थित रहना होगा।
- अदालत के अनुसार इस प्रक्रिया में आन के लिए वास्तविक लागत था खर्च हो चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचित किया जाएगा जिसे उम्मीदवारों को भुगतान करना होगा।
- इसके आलावा अदालत ने ये भी कहा कि अगर EVM और VVPAT की बर्न मेमोरी
- सत्यापन में कोई छेड़छाड़ की बात सामने आती है तो उम्मीदवारों का खर्च वापस कर दिया जाएगा।
- इन ग्यारह उम्मीदवारों के 5% निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर लगभग 118 मतदान केन्द्रों के EVM और VVPAT के सेट का सत्यापन किया जाता है

EVM का बर्न मेमोरी क्या है?

- EVM के बर्न मेमोरी का तात्पर्य है मशीनों के प्रोग्रामिंग चरण पूरा हो जाने के पश्चात इसे इसमें इस्तेमाल होने वाली सॉफ्टवेयर मेमोरी को स्थायी रूप से लाक कर देना।
- चुनाव आयोग के अनुसार EVM में उपयोग किए जाने वाले साफ्टवेयर को वन टाइम
- प्रोग्रामेबल / मास्टकड चिप में बर्न कर दिया जाता है जो प्रोगाम को दोबारा पढ़ने व बदलने की अनुमति नहीं देता है।
- बर्न मेमोरी में प्रोग्राम को 10 वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सकता है।

सत्यापन के लिए क्या प्रक्रिया है?

- 1 जून को भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने EVM और VVPAT की बर्न मेमोरी की जाँच और सत्यापन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (Sop) जारी की, हालांकि इसको अगस्त तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है।

SoP के प्रमुख तथ्य -

- जाँच एवं सत्यापन की पूरी प्रक्रिया जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) की देख रेख में होगा

ResultMitra

- आवेदक उम्मीदवार को EVM और VVPAT के प्रति सेट के लिए 40,000 रुपये जमा करना होगा
- जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) द्वारा ऐसी आवेदन की सूची राज्य की मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजेंगे जो EVM बनाने वाली सार्वजनिक क्षेत्र भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड (BEL) और इलेक्ट्रानिक्स कॉपरेशन ऑफ इंडिया (ECIL) को सूचित करेंगे।
- जाँच एवं सत्यापन के लिए आवश्यक स्ट्रांग रूम होगा जो सीसीटीवी कैमरे से लैस होंगे।
- जाँच के दौरान सेल फोन, कैमरे सहित अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण प्रतिबंधित होगें।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM)

- इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (Electronic voting Machine) को आइआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर एजीराव और रवि पूर्वैया की टीम द्वारा डिजायन किया गया था।
- इलेक्ट्रानिक्स पर आधारित इस वोटिंग मशीन में दो मुख्य प्रोद्योगिकी ऑप्टिकल स्कैनिंग और डायरेक्ट रिकॉडिंग मौजूद है।
- ऑप्टिकल स्कैनिंग वोटिंग सिस्टम प्रत्येक मत्रपत्र की एक इलेक्ट्रानिक छवि बनाता है जो प्रत्येक उम्मीदवार के नाम तथा चुनाव चिन्ह के टैली करके संग्रहित करता है।
- मतदाता ऑप्टिकल स्कैन के द्वारा संग्रहित इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पर अपने उम्मीदवार के नाम एवं चुनाव चिन्ह को देखकर विकल्प चुन सकता है।
- डायरेक्ट रिकॉर्डिंग (DRE) सिस्टम ऑप्टिकल स्कैनिंग से केबल के द्वारा जुड़ा रहता है जो मतदान डाटा को मेमोरी में दर्ज करता है।
- डायरेक्ट रिकॉर्डिंग सिस्टम के तहत दर्ज किए गए डाटा का मिलन एक पेपर टेप जिसे वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) कहा जाता है में प्रिंट किए गए पत्रों के तहत होता है।

इतिहास -

- आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर एजी राव और रवि पुवाया की टीम द्वारा डिजायन किया गया EVM का चुनाव आयोग ने 1977 में रखा जिसके तहत इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन आफ इंडिया (ECIL) को इसके विकास की जिम्मेदारी दी गई।
- वर्ष 1979 में EVM की एक मॉडल विकसित किया गया जिसे सभी राजनीतिक दलों को इससे अवगत कराया गया।
- 6 अगस्त 1980 को भारत की सार्वजनिक कंपनियां भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (BEL) और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (ECIL) को इसके निर्माण कार्य की जिम्मेदारी दी गई।
- EVM का परीक्षण सर्वप्रथम 1982 के केरल के परवूर विधानसभा के उपचुनाव में किया गया।
- हालांकि इस चुनाव में उपयोग किए गए EVM के इस्तेमाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई जिस पर फैसला सुनाते हुए इसके उपयोग पर रोक लगा दी।

Result Mitra

- सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनते हुए कहा कि चूंकि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 59-61 में चुनाव के लिए कागज के मतपत्रों का उल्लेख है इसीलिए सरकार को EVM का चुनाव में इस्तेमाल करने के लिए भारतीय संसद को जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में संशोधन करना होगा।
- इसके बाद वर्ष 1998 में राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं दिल्ली के लगभग 25 विधानसभा क्षेत्रों में प्रायोगिक रूप से EVM का इस्तेमाल किया गया।
- मई 2001 में आयोजित तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल और पुडुचेरी के सभी विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव के लिए EVM का उपयोग किया गया।
- वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव में पहली बार सभी 543 लोकसभा क्षेत्रों में EVM से चुनाव संपन्न कराया गया।
- वर्ष 2011 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर चुनाव आयोग ने EVM में मतदाता सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) की अध्ययन के लिए एक विशेष तकनीकी समिति नियुक्त की।
- वर्ष 2013 में पहली बार VVPAT को परीक्षण के लिए नागालैंड के नोकसेन विधानसभा चुनाव में प्रयोग किया गया।
- 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सभी विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव के लिए EVM के साथ VVPAT लागू किया गया।
- 2014 के आम चुनाव से लेकर सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव EVM एवं VVPAT के साथ संपन्न कराए जा रहे हैं।

EVM से चुनाव कराने वाले अन्य देश -

- भारत सहित ब्राज़ील, फिलिपींस, बेल्जियम, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, मालदीव, नामीबिया, वेनेजुएला, नामीबिया, मिस्र, भूटान, नेपाल सहित दक्षिण अमेरिका और एशिया के देश EVM से चुनाव कराने में रुचि दिखा रहे हैं।
- भारत, नेपाल, भूटान, नमिबीया और केन्या को चुनाव के लिए EVM निर्यात करता है।
- हालांकि कुछ देशों जर्मनी, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड सहित 11 से अधिक देशों ने चुनाव में EVM के उपयोग के बाद इसके उपयोग पर प्रतिबन्ध लगा दिया।

ResultMitra